घरेलू कामगार आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बनते जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था के विकास में उनके घरेलू योगदान को इसी रूप में आंका जा सकता है कि यदि यह वर्ग घरेलू काम के लिए उपलब्ध न हो तो कामकाजी महिलाओं का घर से बाहर नौकरी, व्यवसाय या व्यापार के लिए निकलना असंभव हो सकता है।

मौजूदा परिवेश में घरेलू श्रम प्रोद्योग को एक व्यवस्थित और नियंत्रित रूप दिया जाना बहुत महत्वपूर्ण लेकिन बड़ी चुनौती है, इसके कारणों को गहराई से समझना ज़रूरी है।

घरेलू श्रम के प्रति समाज का उपेक्षात्मक रवैया

यह माना जाता है कि यह कोई काम नहीं है, जो इस श्रम प्रोद्योग की पिछड़ी स्थिति का प्रमुख कारण है। पितृसत्तात्मक समाज में घरेलू श्रम योगदान देने वाली गृहिणियों के महत्व को सहज स्वीकार नहीं किया गया है। यह सभी जानते हैं कि परिवार में यदि महिलाएं घर की ज़िम्मेदारी को न निभाएं तो परिवार की व्यवस्था चरमरा जाएगी। अब, जब महिलाएं घर से बाहर नौकरी, व्यवसाय और रोज़गार, व्यापार की दुनिया में लगातार आगे आई हैं तो घर की व्यवस्था को संभालने में घरेलू कामगारों ने अपना श्रम योगदान देकर परिवार व्यवस्था को बड़ा सहयोग दिया है, लेकिन जिस तरह गृहिणियों के घरेलू श्रम का स्वीकार नहीं किया गया, उसी तरह इन कामगारों के श्रम के महत्व को भी नज़रंदाज़ किया जाता रहा है और उसे हुनरबंद रोजगार के एक विकल्प के रूप में विकसित नहीं किया गया है।

दासत्व की परंपरागत सोच और रवैये

ऐसा नहीं है कि घरेलू कामगारी कोई आधुनिक युग की देन या समस्या है। घरेलू दास दासियों को रखने की प्रथा, राजतंत्र, सामंतवादी व्यवस्थाओं में सदा से रही है, किंतु परिवार या कुल में कभी भी उनके साथ सम्मान से व्यवहार नहीं किया गया। परिवार के संबंधों और व्यवहारों में उन्हें नकारा ही गया है। उनके प्रति नौकर, दास की तरह अपमान, अन्याय और उपेक्षात्मक व्यवहार किए जाने के अनेक उदाहरण हमारी ऐतिहासिक कथाओं में छिपे हैं। दासत्व की इस स्थिति में उनके कोई अधिकार परिवार में नहीं होते और अपने मालिक के हर आदेश का पालन करना उनका धर्म बना दिया गया। आज भी हमारे देश की मोलकी, पार्वती जैसी प्रथाओं में खरीदी गई दासियों/घरेलू कामगारों के दुर्दांत शोषण की कथाएं सामने आने को बेताब हैं।

सामंतवादी वर्ग भेद और व्यवस्थागत समर्थन

घरेलू श्रमिकों के प्रति सामंतवादी दासत्व की स्थिति और वर्गीय सोच ने मालिक-नौकर, स्वामी-दास के बीच सत्ता संबंधों की खाई को सदैव बनाए रखा है। अमीर और गरीब के बीच सत्ता संबंध गैरबराबर होते हैं, हमें उन कारणों को भी समझना होगा जो घरेलू कामगारों में सामंती-आदेश पालन की मानसिकता बढ़ाते हैं। अन्याय सहने वाला यदि अन्याय को अपना भाग्य अथवा नियति समझने लगे तो शोषण एक व्यवस्था बन जाता है।

घरेलू श्रम प्रोद्योग का अनौपचारिक स्वरूप

समाज की परंपरागत सामंतवादी सोच और गरीब वर्ग की मजबूर स्थिति का परोपकार के नाम पर लाभ उठाने, उन्हें घरेलू श्रम के बदले आश्रय और पारिवारिक सुरक्षा देने जैसी व्यवस्थाओं ने इस श्रम प्रोद्योग को सदा से हानि-लाभ और वर्गीय सत्ता से बांधे रखा है, जिसे हर प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का बराबर समर्थन मिलता रहा है। आज की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में भी घरेलू कामगारों के श्रम योगदान, उनके अधिकारों, काम की जगह पर उनकी सुरक्षा, शोषणमुक्त स्थिति के प्रति न्यायवादी सोच और समझ का गहन अभाव है। घरेलू कामगारी को एक रोजगार का औपचारिक विकल्प स्वीकार किया जाना अभी भी बाकी है।

घरेलू श्रम प्रोद्योग से संबद्ध ठोस नियम, कानूनों की कमी

हमारे देश में श्रम अधिकारों और श्रम की न्यायपूर्ण स्थितियों को सुनिश्चित करने वाले अनेक कानून हैं। असंगठित क्षेत्र मजदूरों की श्रम स्थितियों को बेहतर बनाने, उनके अधिकारों की रक्षा और काम की जगह पर सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं,जैसे- बंधुआ मज़दूरी, छुआछूत विरोधी कानून, ठका श्रम (विनिमयन और उत्पादन अधि. 1970) अन्तर-राज्यिक प्रवासी मज़दूर अधि. 1979, कर्मकार प्रतिकर अधि. 1923 लेकिन तमाम कानूनों के बावजूद घरेलू कामगार वर्ग आज भी अधिकार-वंचित और असुरक्षित हालातों में काम करने को विवश हैं। सामाजिक धारणाओं व मानसिकताओं के कारण घरेलू श्रम प्रोद्योग में महिला घरेलू कामगारों की ही मांग ज़्यादा रहती है। यह माना जाता है कि महिलाएं घरेलू काम में निपुण होती हैं, और उन्हें इस काम के लिए आसानी से ढाला या तैयार किया जा सकता है। महिलाएं घरेलू वातावरण में सेवा भाव के साथ काम करती हैं। जानकारियों व आत्मविश्वास की कमी के कारण वे अपने श्रम मूल्य को लेकर ज़्यादा मोलभाव नहीं करतीं। विडंबना यह है कि खुद बहुत सी घरेलू कामगार भी इसी सोच व मानिसकता के कारण होने वाले अत्याचारों को बर्दाश्त करती रहती हैं; जब तक कि पानी सिर से ऊपर न हो जाए।

एजेंटों की भूमिका घरेलू कामगारों की समस्याओं को - घरेलू कामगार और नियोक्ता तथा एजेंसी तीनों स्तर पर व्यवहारिक रूप से समझा जाना चाहिए

घरेलू कामगारों के शोषण के त्रिकोण का एक छोर जहां काम मालिक/नियोक्ता है, वहीं दूसरा छोर पर वे एजेंसियां हैं जो घरेलू कामगारों को काम पर लगाने का काम करती हैं। ये एजेंसियां अधिकतर पंजीकृत नहीं होतीं और प्रायः रसूखदार लोगों, नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, या खुद लंबे समय से घरेलू कामगार के रूप में काम करने वाली महिलाओं द्वारा भी चलाई जाती हैं।

उन्हें काम की जगह पर कामगार की सुरक्षा, उनके साथ मानवीय व्यवहार, आचारण, तनख्वाह और काम के हालातों जैसे मुद्दों से कोई लेना देना नहीं होता । वे कामगार और

नियोक्ता के बीच जुड़ाव का एक माध्यम बनते तो ज़रूर हैं किंतु इन सभी समस्याओं की स्थिति में अपनी ज़िम्मेदारी नहीं लेते, पंजीकृत न होने के कारण उनकी ज़िम्मेदारी तय करना व कई बार गंभीर मामलों में इन्हें पकड़ना असंभव हो जाता है।

अक्सर पुलिस और एजेंटों का काम-मालिकों के साथ गठजोड़ होता है, जिसकी वजह से घरेलू कामगारों को काम की जगह पर होने वाले अन्याय के विरूद्ध वांछित सहयोग और न्याय नहीं मिल पाता।

नियोक्ता

घरेलू कामगारों के अधिकारों के प्रश्न त्रिकोण के एक बिंदु पर नियोक्ता हैं, जिनकी निजी वर्गीय सोच, मानसिकताओं और आस्थाओं, परंपराओं, विश्वासों के कारण घरेलू कामगारों को अनेक प्रकार से अनाचारों का सामना करना पड़ता है। घरेलू कामगार को वे एक नौकर या दास की तरह मानते और व्यवहार करते हैं। घरेलू कामगारी को एक व्यवसाय के रूप में देखने की सोच हमारे समाज में अभी तक विकसित नहीं हुई है। इसी वजह से घरेलू श्रम प्रोद्योग में कामगारों के लिए काम के समुचित हालातों, सुविधाओं, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सहयोगों, सुरक्षा के पर्याप्त और समुचित उपायों तथा उनसे जुड़े कानूनी प्रावधानों का अभाव है।

घरेलू कामगारों को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिए जाने चाहिए। नियोक्ताओं को व्यवसायिक तौर-तरीकों एवं नियमों के बारे में जागरूक बनाया जाना चाहिए।

घरेलू कामगारों को व्यवसायिक प्रशिक्षण के साथ साथ नियोक्ताओं को मानवीय आचरणों तथा दायित्वों के बारे में सचेत व सजग किया जाना भी उतना ही ज़रूरी है।

काम मालिकों और एजेंटों के पंजीकरण एवं नियमन से घरेलू कामगारों की बहुत सी समस्याओं को हल किया जा सकता है, जैसे - समय पर मज़दूरी, सुनिश्चित काम और काम के घंटों की मनमानी , तय काम से ज़्यादा काम कराए जाने और अनौपचारिक लेन-देन की व्यवस्था, छुट्टियां और आराम का समय, यौन शोषण से बचाव, काम की जगह पर सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और देखभाल, सुरक्षा बीमा व्यवस्था, अतिरिक्त काम का अतिरिक्त मूल्य, काम मालिकों द्वारा अपमान और भेदभाव से बचाव।

कुछ सुझाव

ज़रूरत इस बात की है कि-

» घरेलू श्रम प्रोद्योग के अनौपचारिक स्वरूप को खत्म करते हुए इसे एक औपचारिक श्रम क्षेत्र माना और घोषित किया जाना चाहिए। ताकि उनको न्यूनतम मजदूरी व श्रम कानून के तहत वह सभी लाभ मिल सकें जो अन्य प्रकार की मजदूरी करने वाले श्रमिकों को मिलते हैं। इस क्षेत्र से जुड़े कायदे कानूनों में अभी भी बहुत सी खामियां हैं, जिनमें संशोधन की आवश्यकता है

» घरेलू कामगारों की सेवाएं लेने वाले नियोक्ताओं तथा एजेंसियों का पंजीकरण किया जाना चाहिए

» घरेलू श्रम के प्रति समाज के नजरिये को सुधारा जाए और इसके लिए नियोक्ताओं के साथ मोहल्ला क्लीनिकों, निवासी कल्याण समितियों जैसे संगठनों की मदद से बैठकें, चर्चाएं की जानी चाहिए।

» घरेलू कामगारों के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाई जानी चाहिए।

» श्रम अधिकारों पर काम करने वाले संगठनों के सहयोग से घरेलू कामगारों की बार्गेनिंग पॉवर और संगठन शक्ति बढ़ाया जाना चाहिए।

» घरेलू श्रम से जुड़े विभिन्न मुद्दों जैसे पंजीकरण, काम के घंटे, काम की सुरक्षित स्थितियां, काम की जगह पर सुरक्षा, सुनिश्चित मेहनताना, अवकाश, बीमा और दुर्घटना मुआवजा आदि पर जल्द से जल्द कानून बनाए जाने चाहिए। इस विषय में सरकार द्वारा जल्द ही एक नीति बनाए जाने की खबरें हैं और उम्मीद है कि जल्द ही हमें घरेलू श्रम रोजगार एक प्रोद्योग की तरह नियमित दिखाई देगा।

हमें यह मानना ही होगा कि यदि महिलाएं गृहिणी व घरेलू कामगार दोनों ही रूपों में घरेलू श्रम योगदान न दें तो इस देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद और विकास का आकलन किसी सूरत नहीं किया जा सकता! दूसरी बात यह कि आज के परिप्रेक्ष्य में जहां स्त्री-पुरुष दोनों ही देश के विकास में अपने श्रम का मूल्य पा रहे हैं तब इन कामगारों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों, वह भी तब जब स्वयं पारिवारिक व्यवस्था के लिए उन्हें एक बेहतर विकल्प मानते हैं।

सुनीता ठाकुर

बी-११४, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली-११००१७
फोनः 11-26691219/20, फैक्सः 91-11-26691221
हेल्पलाईनः 91-11-26692700/8800996640
jagori@jagori.org,
www.jagori.org, www.safedelhi.in, www.livingfeminisms.org